

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>महावीर डोसी बनाम लो.सू.अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 245 / 2023 (ऑन लाईन 353503617264387 )</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>05.02.24</p>	<p>अपीलार्थी महावीर डोसी, निवासी ई-91, शास्त्रीनगर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.09.2023. में उसके द्वारा (1) आल्मा मेटर स्कूल से संबंधित रजिस्टर्ड बालवाहिनी का विवरण व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1227 दिनांक 03.11...23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर लोक सूचना का अधिकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को कार्यालय पत्रांक 1074 दिनांक 12.10.2023 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। अधिनियम</p> <p>चूकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर) को प्रेषित किया जा चुका है तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी का अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

